नमामि गंगे

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

जैवविविधता एवं गंगा संरक्षण परियोजना

ग्राम स्तरीय सूक्ष्म कार्ययोजना

ग्राम - मसकलैया

विकासखंड - तालझारी

जनपद - साहिबगंज, झारखण्ड

सूक्ष्म नियोजन	
ग्राम पंचायत	**मसकलैया**
विकासखंड	**तालझारी**
जनपद	**साहिबगंज**
राज्य	**झारखंड**
कुल बजट	**23,78,000.00**
क्रियान्वयन अवधि	**5 वर्ष (2020–2024)**

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

2019

विषय – वस्तु

परिचय	1
भाग – 1 प्रस्तावना	3
भाग – 2 ग्राम पंचायत का विवरण	5
2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण	5
2.2 ग्राम पंचायत चयन के मानक	5
2.3 ग्राम पंचायत चयन की प्रक्रिया	5
2.4 सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण	6
2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय	6
2.6 ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति	6
2.7 कृषि एवं पशुपालन	7
2.8 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण	7
2.9 ग्राम पंचायत तक पहुँच एवं संचार के साधनों की उपलब्धता एवं स्थिति	7
2.10 ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैवविविधता का विवरण	8
2.11 समुदाय की गंगा नदी पर निर्भरता	8
2.12 ग्राम पंचायत में चल रहे/पूर्व में संचालित जैवविविधता कार्यक्रम की जानकारी	8
2.13 ग्राम पंचायत में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/कार्यक्रमों का विवरण	8
भाग – 3 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (Stakeholders)	10
भाग – 4 समस्या विश्लेषण	12
भाग – 5 नियोजन का उद्देश्य	14
भाग – 6 प्रस्तावित गतिविधियाँ तथा रणनीति	16
6.1.1 सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियां	16
6.1.2 समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण	16
6.1.3 आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी गतिविधियां	17

6.1.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ	18
6.1.5 वैकल्पिक उर्जा स्रोत	18
6.1.6 जैवविविधता संबंधी गतिविधियां	19
6.1.7 कृषि विकास संबंधी गतिविधियां	19
6.1.8 पशुपालन विकास संबंधी गतिविधियां	20
6.2 रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन	20
भाग – 7 व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण	22
7.1 सहमत गतिविधियौं का व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण	22
7.2 वित्तीय आवश्यकता एवं बजट	26
7.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	28
7.4 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व	28
7.5 विवाद का निपटारा	29
7.6 अभिलेखों का रखरखाव	29
7.7 सफलता के सूचक	30
अनुलग्नक	
1 समझौता ज्ञापन	31
2 सामाजिक मानचित्र	32
3 सूक्ष्म नियोजन हेतु बैठक में उपस्थित समुदाय की सूची	33
4 फोटो गैलरी	34

मानचित्र

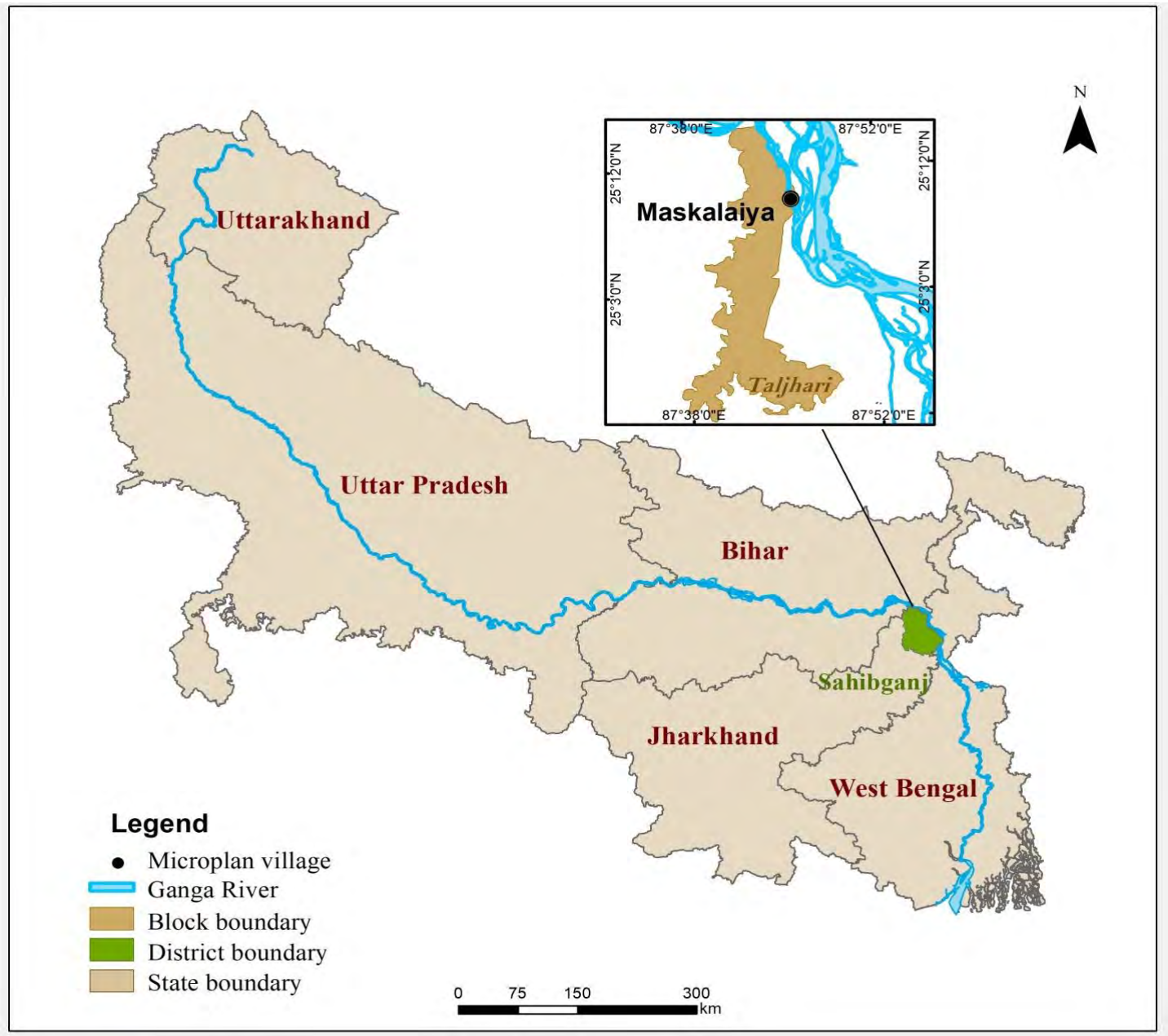
N
Uttarakhand
Uttar Pradesh
Bihar
Sahibganj
Jharkhand
West Bengal
Maskalaiya
Taljhari
87°38'0"E
87°52'0"E
25°12'0"N
25°3'0"N
Legend
Microplan village
Ganga River
Block boundary
District boundary
State boundary
0
75
150
300
km

ग्राम स्तरीय सूक्ष्म जैवविविधता योजना

परिचय

भारत सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने और संरक्षित करने के लिये नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण परियोजना का आरंभ किया है। परियोजना के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर नदी की सफाई के तहत तरल कचरे की समस्या को हल करने हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में जल व मल के निस्तारण हेतु शौचालयों का निर्माण, शवदाह गृहों का उच्चीकरण, आधुनिकीकरण एवं निर्माण, घाटों का निर्माण और मरम्मत आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जैवविविधता संरक्षण, वनीकरण व पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिये भी कार्य किया जा रहा है। नमामि गंगे कार्यक्रम के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का गठन किया गया है।

भारत सरकार द्वारा गंगा नदी की स्वच्छता एवं संरक्षण हेतु चलाये जा रहे नमामि गंगे कार्यक्रम के अर्न्तगत जलीय जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारतीय वन्य जीव संस्थान के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि गंगा नदी की विभिन्न प्रजातियाँ जो वर्तमान में संकटग्रस्त हैं या निकट भविष्य में जिनके लुप्त होने की संभावना है, वर्ष 2020 तक इन प्रजातियों की विविधता के लिये उत्पन्न होने वाले खतरे में कमी आये। वन्य जीव संस्थान द्वारा जैवविविधता संरक्षण हेतु 6 घटकों पर कार्य किया जा रहा है। जिसमें गंगा जलीय जीव संरक्षण एवं अनुश्रवण केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी के जलीय जीवों के पुनरूद्वार हेतु योजना का निर्माण, वन विभाग एवं अन्य हितधारकों का क्षमता विकास, जलीय प्रजातियों हेतु बचाव एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी की प्रजातियों के पुनर्वास हेतु समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रम एवं गंगा नदी की जैवविविधता के संरक्षण हेतु नेचर इंटरप्रेटेशन और शिक्षा आदि कार्यक्रम प्रमुख हैं।

सूक्ष्म नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय समुदाय अपनी आवश्यकता के अनुसार विकास की योजना का निर्माण करता है। सूक्ष्म नियोजन में समुदाय के सभी वर्गों की भागीदारी होना इसकी प्रमुख विशेषता है। नियोजन की प्रक्रिया को विकेन्द्रित (Decentralised) सतत् (Sustainable) एवं सहभागी (Participatory) बनाने का यह एक महत्वपूर्ण भाग है। जिसमें नियोजन की प्रक्रिया ऊपर से नीचे (Top to bottom) न होकर नीचे से ऊपर (Bottom to top) की ओर होती है। इस प्रक्रिया में समुदाय के ज्ञान व अनुभवों को आधार मानकर कई सहभागी आकलन की गतिविधियाँ के माध्यम से जानकारी एकत्र की जाती है।

सहमति पत्र

जोसेफ हेम्ब्रम
मुखिया
ग्राम पंचायत- मस्कैल्या 05
प्रखंड- तालझारी
जिला- साहेबगंज (झारखण्ड)

आवास
ग्राम- फतेहपुर
पो०- बाला पीखर
जिला- साहेबगंज (झारखण्ड)
पिन-816109
मो०- 9973205007, 9534442474

पत्रांक 164/19-20 सहमति पत्र दिनांक 17/12/2019

जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत - मस्कैल्या, प्रखंड - तालझारी, जिला - साहेबगंज, में विभिन्न बैठकों, कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षणों के साथ-साथ अन्य गतिविधियाँ आयोजित की गयी है। समुदाय के साथ लगातार चर्चा के बाद गंगा की जैव-विविधता संरक्षण हेतु यह ग्राम स्तरीय सूक्ष्म योजना तैयार की गयी है। इस योजना पर सामुदायिक बैठक में चर्चा करने के उपरांत समुदाय द्वारा इस पर सहमति दी गई है। ग्राम पंचायत में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत एवं ग्राम समुदाय भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ भागीदारी हेतु तैयार है।

17/12/19
मुखिया
ग्राम पंचायत-मस्कैल्या
प्रखण्ड-तालझारी (साहेबगंज)

भाग – 1 प्रस्तावना

ग्राम पंचायत	**मसकलैया**
अवस्थिति	**25.16655012 अक्षांश एवं 87.76272094 देशान्तर**
विकासखंड	**तालझारी**
जिला	**सहिबगंज**
राज्य	**झारखंड**
जिला मुख्यालय से दूरी	**23 किमी0**
तहसील मुख्यालय से दूरी	**19 किमी0**
गंगा नदी से दूरी	**0.5 कि0मी0**
कुल जनसंख्या	**5000**
कुल परिवार	**1200**
मुख्य जातियाँ	**ब्राहमण, राजपूत, अनुसूचित जाति**

मुख्य समस्याएँ	• जागरूकता की कमी, • कृषि में रासायनिक खादों का प्रयोग, • धार्मिक व पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित करना, • कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था न होना, • आजीविका हेतु गंगा नदी पर निर्भरता, • स्थानीय संस्थाओं का सुदृढ़ न होना
प्रस्तावित गतिविधियाँ	• समुदायिक जागरूकता गतिविधियाँ • समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण • आजीविका व कौशल विकास गतिविधियाँ • स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ • वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत • जैवविविधता संरक्षण • कृषि विकास संबंधी गतिविधियाँ • पशुपालन संबंधी गतिविधियाँ

भाग – 2 ग्राम पंचायत का विवरण

2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण

ग्राम पंचायत मसकलैया झारखंड राज्य के जनपद साहिबगंज के विकासखंड तालझारी में स्थित है। यह जिला मुख्यालय साहिबगंज से 23 कि0मी0 दूर दक्षिण की ओर है। राज्य की राजधानी रांची से इसकी दूरी 366 कि0मी0 है। यह स्थान जनपद साहिबगंज एवं मालदाह की सीमा पर बसा है। जो पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा के पास है। यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी, संथाली एवं अंगिका है। तालझारी रेलवे स्टेशन एवं कलियानचक रेलवे स्टेशन मसकलैया के नजदीकी रेलवे स्टेशन हैं। हालांकि मुख्य रेलवे स्टेशन मालदा, मसकलैया से 44 कि0मी0 दूर है। गाँव राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर बसा है। यहाँ पर स्वास्थ्य केन्द्र, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान (Public distribution system), आंगनबाड़ी केन्द्र, प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय स्थित हैं।

2.2 ग्राम पंचायत चयन के मानक

ग्राम पंचायत गंगा नदी के तट पर है। यहाँ पर मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग निवास करते हैं। समुदाय की गंगा पर निर्भरता है। यहाँ पर गंगा नदी की जैवविवधिता भी प्रचुर मात्रा में है जिनमें गांगेय डॉल्फिन, कछुये, विभिन्न प्रजाति की मछलियाँ, सांप, मेंढक, प्रवासी पक्षी आदि पाये जाते हैं। लोगों की गंगा पर अत्यधिक निर्भरता होने के कारण गंगा प्रदूषित हो रही है जिसका सीधा प्रभाव गंगा की जैवविविधता पर पड़ रहा है। गंगा के तट पर स्थित होने के कारण, यहाँ पर जलीय जैवविविधता की उपस्थिति व कार्यक्रम में शामिल होने के लिये तत्परता के कारण ग्राम पंचायत को कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

2.3 ग्राम पंचायत चयन की प्रक्रिया

नमामि गंगे के अन्तर्गत चिन्हित गाँवों की सूची के अनुसार ग्राम पंचायतों में बैठक करने के उपरान्त जिले में गंगा के किनारे बसे व स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत चयनित गांवों में से गंगा के नजदीक व अधिक जन दबाव होने के कारण इस पंचायत का चयन कार्यक्रम हेतु किया गया। उपरोक्त ग्राम पंचायत में जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क किया गया एवं ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ बैठकें कर ग्राम पंचायत के बारे में जानकारी लेने के साथ ही ग्रमवासियों को परियोजना की जानकारी दी गयी व परियोजना के उद्देश्यों को बताया गया। ग्रामवासियों और पंचायत की सहमति के पश्चात गांव को कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित किया गया।

2.4 सामाजिक जनसंख्यात्मक विवरण

ग्राम पंचायत मसकलैया की कुल जनसंख्या 5000 है। यहाँ पर 1200 परिवार निवास करते हैं। कुल जनसंख्या में से 2700 पुरूष एवं 2300 महिलायें हैं।

यहाँ पर मुख्य रूप से संथाल, स्वर्णकार, चायमंडल, रविदास, पासवान, पंडित, कुरांव, मुसार आदि जाति तथा हिंदू व ईसाई संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। जिनमें से 30 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 55 प्रतिशत सामान्य जाति के हैं। ग्राम पंचायत में 2000 पुरूष और 1500 महिलायें साक्षर हैं।

2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय

मसकलैया में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति निम्न मध्यवर्गीय है। यहाँ पर लगभग 900 परिवार कृषि एवं पशुपालन पर आश्रित हैं, 500 परिवार धार्मिक कार्य, 5 परिवार नाविक एवं 12 परिवार मछली का शिकार कर जीविका चलाते हैं। ग्राम पंचायत में नौकरीपेशा परिवारों की संख्या 60 है, 100 परिवार स्वरोजगार पर आश्रित हैं तथा 150 परिवार कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, 200 परिवारों के सदस्य आजीविका हेतु दूसरे शहरों में जाते हैं। ग्राम पंचायत में 800 परिवारों द्वारा नदी किनारे कृषि (Riverbed Farming) की जाती है। 900 परिवारों के पास कृषि भूमि है परंतु 300 परिवार भूमिहीन हैं।

2.6 ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति

ग्राम पंचायत मसकलैया में स्वच्छ पेयजल हेतु 700 व्यक्तिगत ट्यूबवैल, 75 सरकरी हैंडपंप, 15 कुयें हैं। इसके अतिरिक्त गंगा के जल का प्रयोग भी दैनिक कार्यों हेतु किया जाता है। यहाँ पर सभी परिवारों को पेयजल की उपलब्धता है।

गांव में निर्मित कुल शौचालयों की संख्या 900 हैं। जिनका निर्माण नमामि गंगे तथा यू0एन0 डी0पी0 के कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है कुछ शौचालयों का निर्माण लोगों द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया है। कुल निर्मित 900 शौचालयों में से 60 प्रतिशत ही प्रयोग होते हैं। बाकी शौचालयों का उपयोग अन्य कार्यों हेतु किया जा रहा है। शौचालयों का प्रयोग न किये जाने का मुख्य कारण लोगों में खुले में शौच से स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों के संबंध में जागरूकता की कमी एवं लोगों की मानसिकता है। 300 परिवारों के पास शौचालय नहीं हैं। शौच हेतु लोग गांव के पास जंगल में, खेतों में तथा नदी के किनारे जाते हैं।

ग्राम पंचायत में ठोस कूड़ा (Solid waste) एकत्रीकरण और प्रबन्धन की कोई व्यवस्था नहीं है। समुदाय द्वारा जलाकर या इधर उधर फेंककर कूड़े का निस्तारण किया जाता है। कुछ परिवारों द्वारा जैविक अपशिष्ट से खाद भी बनाया जाता है।

2.7 कृषि एवं पशुपालन

ग्राम पंचायत में आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि एवं पशुपालन है। ग्राम पंचायत में कुल 400 हेक्टेयर कृषि भूमि पर खेती की जाती है। कुल 950 परिवार कृषि भूमि व 800 परिवार पालिज की खेती पर निर्भर हैं। गाँव में मुख्य रूप से गेंहूँ, धान, मक्का, दलहन, सब्जियाँ आदि उगाई जाती हैं। गंगा तट की 200 हेक्टेयर कछार भूमि पर दलहन, मक्का, गेहूँ तथा सब्जियाँ आदि उगाई जाती हैं। कृषि में जैविक व रासायनिक दोनों प्रकार की खादों का प्रयोग किया जाता है। जिनमें यूरिया, पोटाश, डी0ए0पी एवं गोबर की खाद प्रमुख हैं। फसलों को कीटों से बचाने के लिये कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। ग्राम पंचायत में लगभग 900 परिवार पशुपालन करते हैं। यहाँ पर कुल पशुओं की संख्या 7000 है। पशुओं को हरा व सूखा चारा खिलाया जाता है जो स्वंय के खेतों में उगाया जाता है या बाजार से खरीदा जाता है।

2.8 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण

गंगा के किनारे स्थित होने के कारण ग्राम पंचायत में जल संसाधन का मुख्य स्रोत गंगा का पानी है। ग्राम में पेयजल के लिये सिंचाई हेतु सबमर्सिबल पंप, हैंडपम्प, छोटे हैंडपम्प व रेलवे स्टेशन पर ओवरहैड टैंक व ग्राम पंचायत द्वारा लगाई गयी छोटी छोटी टंकियाँ उपलब्ध हैं। ग्राम पंचायत में कोई भी तालाब नहीं है। जनपद साहिबगंज में वर्षा का वार्षिक औसत 1248 मिमी0 और औसत तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस है।

2.9 ग्राम पंचायत तक पहुंच एवं संचार के साधनों की उपलब्धता एवं स्थिति

ग्राम पंचायत राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर स्थित है। यहाँ पर यातायात व सड़क मार्ग की अच्छी व्यवस्था है। रेडियो, टेलीफोन एवं मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध हैं। प्राथमिक चिकित्सालय और पोस्ट ऑफिस यहाँ से 3 कि0मी0 दूर बालापोखर में स्थित है। इसके साथ ही यहाँ पर 11 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा एक प्राथमिक विद्यालय भी स्थित हैं।

2.10 ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैवविविधता का विवरण

गॉव के आस पास 200 हेक्टेयर चारागाह क्षेत्र है। कुल वन क्षेत्र 30 हेक्टेयर है। समय–समय पर वन विभाग द्वारा फलदार एवं अन्य वृक्षों का रोपण किया जाता है। यहाँ पर दो पवित्र उपवन महुआ और सखुआ हैं जहाँ पर लोग पूजा करते हैं। आजीविका हेतु गंगा पर निर्भरता

के कारण गंगा नदी की जैवविविधता को खतरा बना हुआ है। गंगा के तटों पर कृषि होने के कारण किये जाने के कारण जलीय जीवों के आवास खत्म हो रहे हैं।

2.11 समुदाय की गंगा नदी पर निर्भरता

गंगा नदी के तट पर स्थित होने के कारण समुदाय की गंगा नदी पर अत्यधिक निर्भरता है। समुदाय प्रत्यक्ष रूप से धार्मिक गतिविधियाँ, नौकायन, कृषि, पालीज खेती हेतु गंगा पर निर्भर है। ग्राम पंचायत में 12 परिवार मछली का शिकार कर अपनी आजीविका कमाते हैं। मल्लाह जाति के 5 परिवार नाविक के रूप में भी गंगा पर निर्भर है। ग्राम पंचायत में बहुसंख्य परिवार आजीविका हेतु कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर हैं। कृषि के लिये जल हेतु समुदाय की गंगा पर निर्भरता है। मसकलैया में कुल कृषि भूमि 400 हेक्टेयर है जिसमें 900 परिवार कृषि करते हैं। गंगा नदी के तट पर स्थित 200 हेक्टेयर कछार भूमि पर ग्राम पंचायत के 800 परिवारों के द्वारा पालिज खेती की जाती है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से धान, गेंहूँ, मक्का, दालें एवं सब्जियाँ आदि बोई जाती हैं। गंगा किनारे कृषि कार्यों, फसलों की सिंचाई, धार्मिक कार्यों, मछली का शिकार, यातायात के अतिरिक्त घरेलू कार्यों हेतु पानी के लिये गंगा पर लोगों की निर्भरता है।

2.12 ग्राम पंचायत में चल रहे/पूर्व में संचालित जैवविविधता कार्यक्रम की जानकारी

वन विभाग द्वारा क्षेत्र में समय–समय पर पौधारोपण किया जाता है परंतु गंगा की जैवविविधता के संरक्षण से संबंधित कोई भी विशिष्ट कार्यक्रम पूर्व में नहीं चलाया गया है।

2.13 ग्राम पंचायत में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/ कार्यक्रमों का विवरण

क्रम सं0	कार्यक्रम का नाम	गठित संस्था का नाम	कार्यक्रम का विवरण	लाभार्थियों की संख्या	टिप्पणी
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	स्वयं सहायता समूह	प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार	300	समूह सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं।
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	आशा	महिला एवं बाल स्वास्थ्य	01 कार्यकर्ता	
3	समेकित बाल विकास योजना	आंगनबाड़ी	1 आंगनबाड़ी केन्द्र	..	

4	ग्राम स्तरीय समिति	ग्राम शिक्षा समिति	शिक्षा	..	ग्राम स्तरीय समिति में 72 लोग जुड़े हैं जो बच्चों की शिक्षा हेतु सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत में कृषि, भूमि संरक्षण, स्वच्छ भारत मिशन आदि कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

भाग – 3 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (Stakeholders)

जैवविविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हितधारकों की पहचान करने हेतु समुदाय के विभिन्न वर्गों के साथ बैठकें की गई। ग्रामीण समुदाय को कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की गई व गंगा की स्वच्छता एवं जैवविविधता के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। चर्चा के दौरान कार्यक्रम से प्रभावित होने वाले निम्न वर्गों को हितधारक के रूप में चिन्हित किया गया–

1. मल्लाह समुदाय
2. धार्मिक समूह
3. व्यापारीगण
4. विद्यार्थी समुदाय
5. कृषक
6. महिलायें एवं युवतियाँ
7. समुदाय आधारित संस्थायें – स्वंय सहायता समूह, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, गंगा समिति।
8. विभिन्न विभाग एवं कार्यक्रम के अधिकारी एवं कर्मचारी जैसे – स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, खंड विकास अधिकारी, वन विभाग आदि।
9. केन्द्रीय मंत्रालय – जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अन्य मंत्रालय आदि।

गंगा नदी की जैवविविधता संरक्षण एवं इसकी स्वच्छता के संबंध में विभिन्न हितधारकों (संगठनों, संस्थाओं एवं सामाजिक संगठनों) के प्रभाव शक्ति और रूचि को पहचानने, सूचीबद्ध करने और उसका विश्लेषण करने के लिये हितधारक मानचित्रण किया गया है। गंगा नदी के संरक्षण एवं स्वच्छता में हितधारकों के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों, अंतर्सम्बंधों, गठबंधनों और संघर्षों को पहचानने के लिये यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। हितधारक मानचित्र गंगा की जैवविविधता के संरक्षण में विभिन्न हितधारकों की शक्ति, रूचि एवं प्रभाव को दर्शा रहा है। गंगा नदी पर हितधारकों के प्रभाव एवं उनकी भूमिका के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक हितधारकों को विभिन्न रंगों से दर्शाया गया है। ये मानचित्र विभिन्न हितधारकों के बीच अंतर्निर्भरता को समझने एवं गंगा नदी के संरक्षण की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये संभावित गठबंधन बनाने में सहायक होगा।

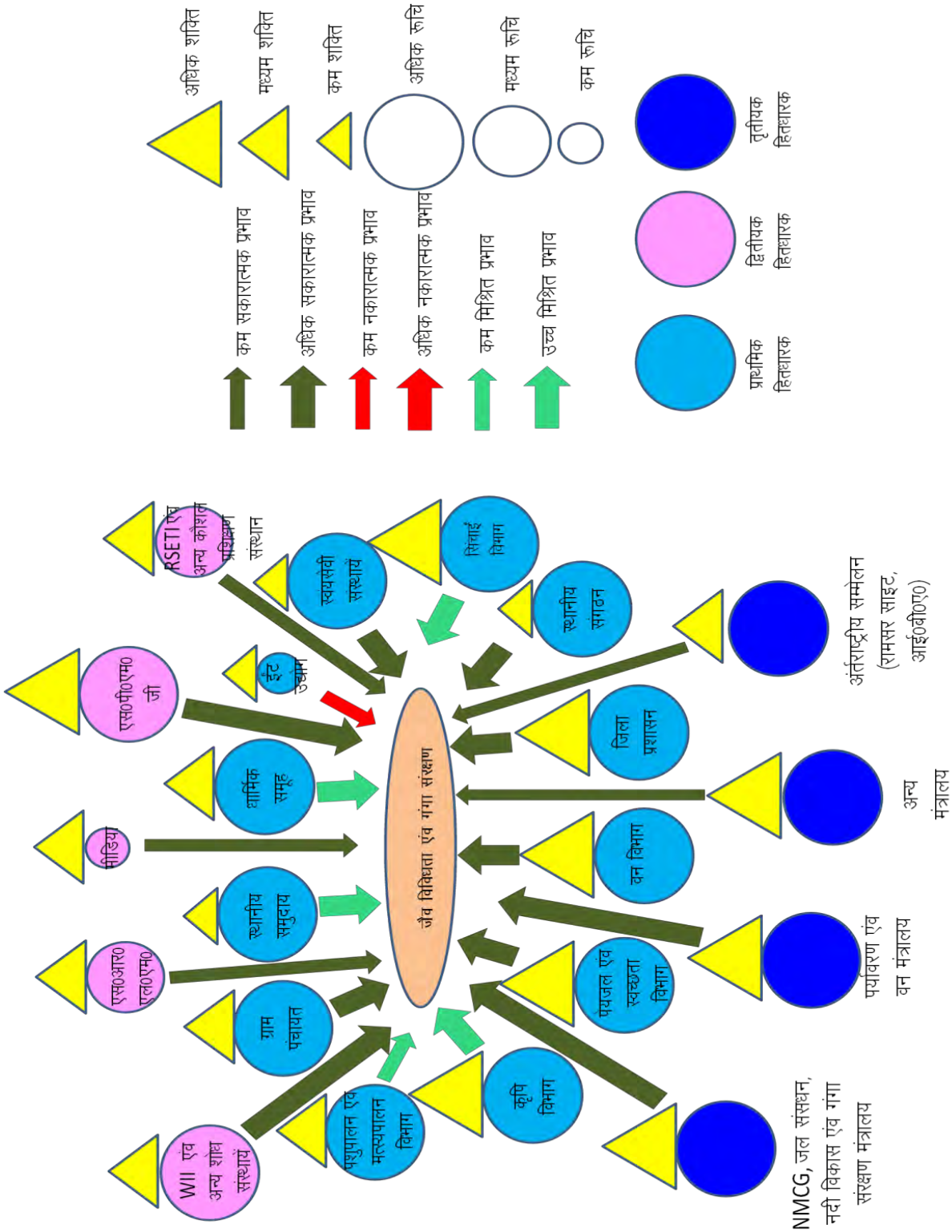

चित्र – 1 हितधारक मानचित्रण

भाग – 4 समस्या विश्लेषण

ग्राम पंचायत मसकलैया के निवासियों की आजीविका हेतु निर्भरता कृषि कार्यो पर है। यहाँ पर में 400 हेक्टेयर कृषि भूमि के साथ ही 200 हेक्टेयर गंगा के द्वारा छोड़ी गयी कछार भूमि पर कृषि की जाती है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने एवं फसलों को कीटों से बचाने के लिये समुदाय द्वारा खेतों में रासायनिक खादों व कीटनाषक दवाईयों का प्रयोग किया जाता है। वर्षा होने पर खेती में प्रयुक्त ये रसायन बहकर गंगा के पानी में मिल जाते हैं एवं उसे प्रदूषित करने के साथ ही जैवविविधता को हानि पहुँचाते हैं। घरेलू कार्यों के लिये पानी के लिये भी ग्रामवासियों की गंगा पर निर्भरता है। कुछ परिवार मछली का शिकार करके आजीविका चलाते हैं। आजीविका हेतु अन्य साधनों एवं कौशल की जानकारी व उपलब्धता नहीं के कारण समुदाय को नये क्षेत्रों रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं जिससे गंगा से संबंधित क्षेत्रों पर ही निर्भरता बनी हुई है।

ग्राम पंचायत में 40 प्रतिशत परिवारों के पास शौचालय नहीं हैं। सभी घरों में शौचालय न बने होने के कारण तथा सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था न होने के कारण शौचालयविहीन परिवारों द्वारा गंगा तट पर मल मूत्र त्याग किया जाता है जिससे गंगा तट पर गंदगी रहती है। तरल अपशिष्ट के निस्तारण हेतु नालियों आदि की व्यवस्था भी गाँव में नहीं हैं।

ग्राम पंचायत में कूड़ा एकत्रीकरण, प्रबन्धन एवं निस्तारण की कोई व्यवस्था न होने के कारण कूड़ा ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों तथा नदी तट पर बिखरा रहता है जो हवा व वर्षा के साथ गंगा के पानी में मिल जाता है। गाँव में गंदे पानी के निस्तारण की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। ग्रामवासियों में ठोस व तरल अपशिष्ट के निस्तारण से संबंधित जागरूकता का अभाव है।

मसकलैया ग्राम पंचायत व उसके आसपास मछली और अन्य जलीय जंतुओं का अवैध शिकार किया जाता है जिसको रोकने के लिये निरन्तर निगरानी व नियमों का उचित क्रियान्वयन आवष्यक है। जलीय जीवों के संरक्षण व उनसे संबंधित नियमों की जानकारी न होने के कारण, लोग जलीय जीव मिलने पर उन्हें बेच देते हैं या उन्हें खा लेते हैं।

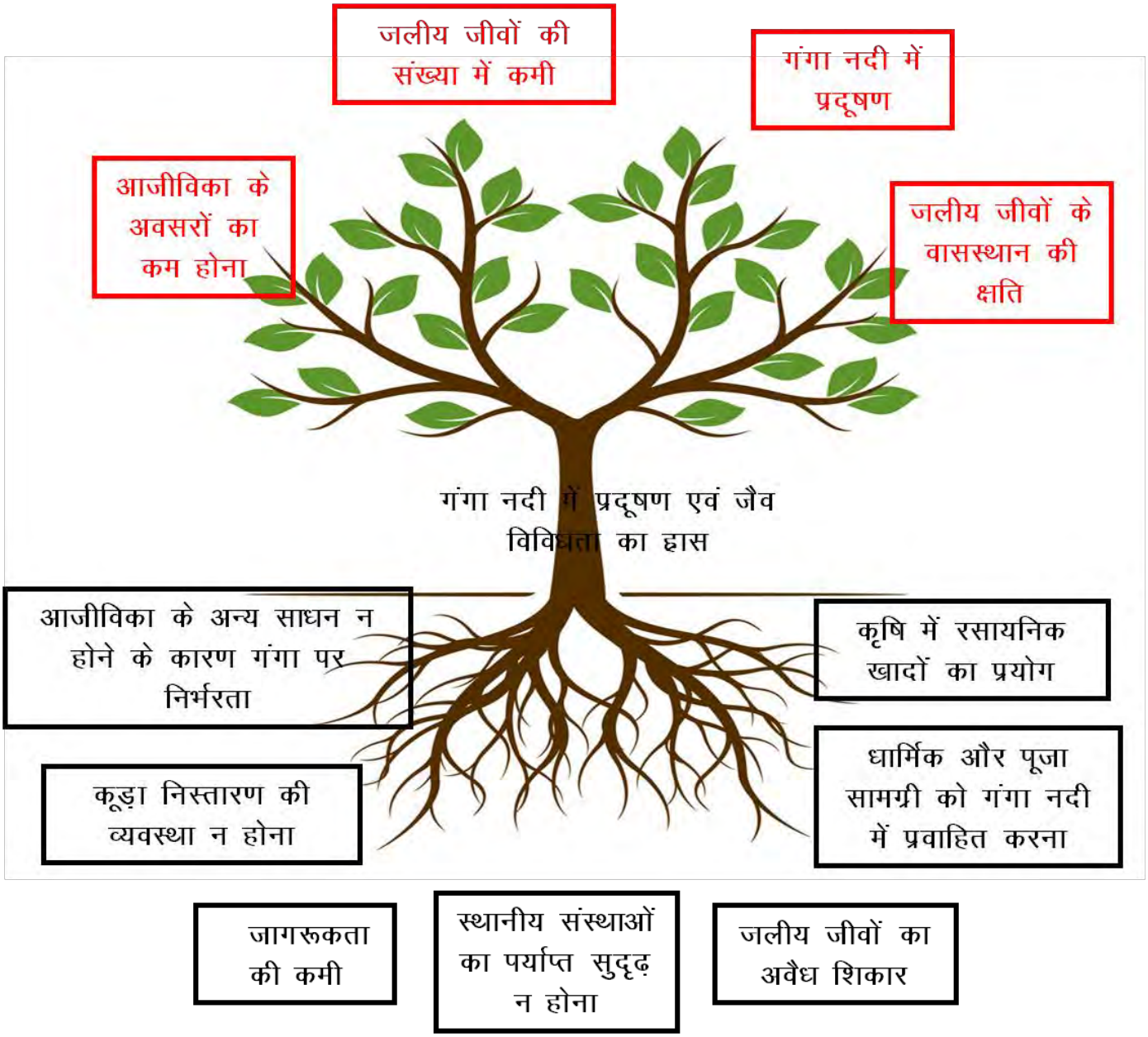

चित्र – 2 समस्या वृक्ष

भाग – 5 नियोजन का उद्देश्य

नियोजन का मुख्य उद्देश्य गंगा की जैवविविधता के संरक्षण एवं गंगा की स्वच्छता हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं संरक्षण कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है जिससे संरक्षण कार्यों की सततता बनी रहे।

दीर्घकालीन उद्देश्य

1. गंगा नदी की अविरलता एवं निर्मलता को बनाये रखने के लिये जलीय जीवों का संरक्षण करना।

अल्पकालीन उद्देश्य

1. ग्राम में चल रही विकास की समस्त योजनाओं एवं गतिविधियों में जैवविविधता संरक्षण को शामिल करना।
2. गंगा की जैवविविधता के संरक्षण हेतु समुदाय को जागरूक एवं संवेदशील बनाना ताकि वे जैवविविधता संरक्षण के कार्य में भागीदारी कर सकें।

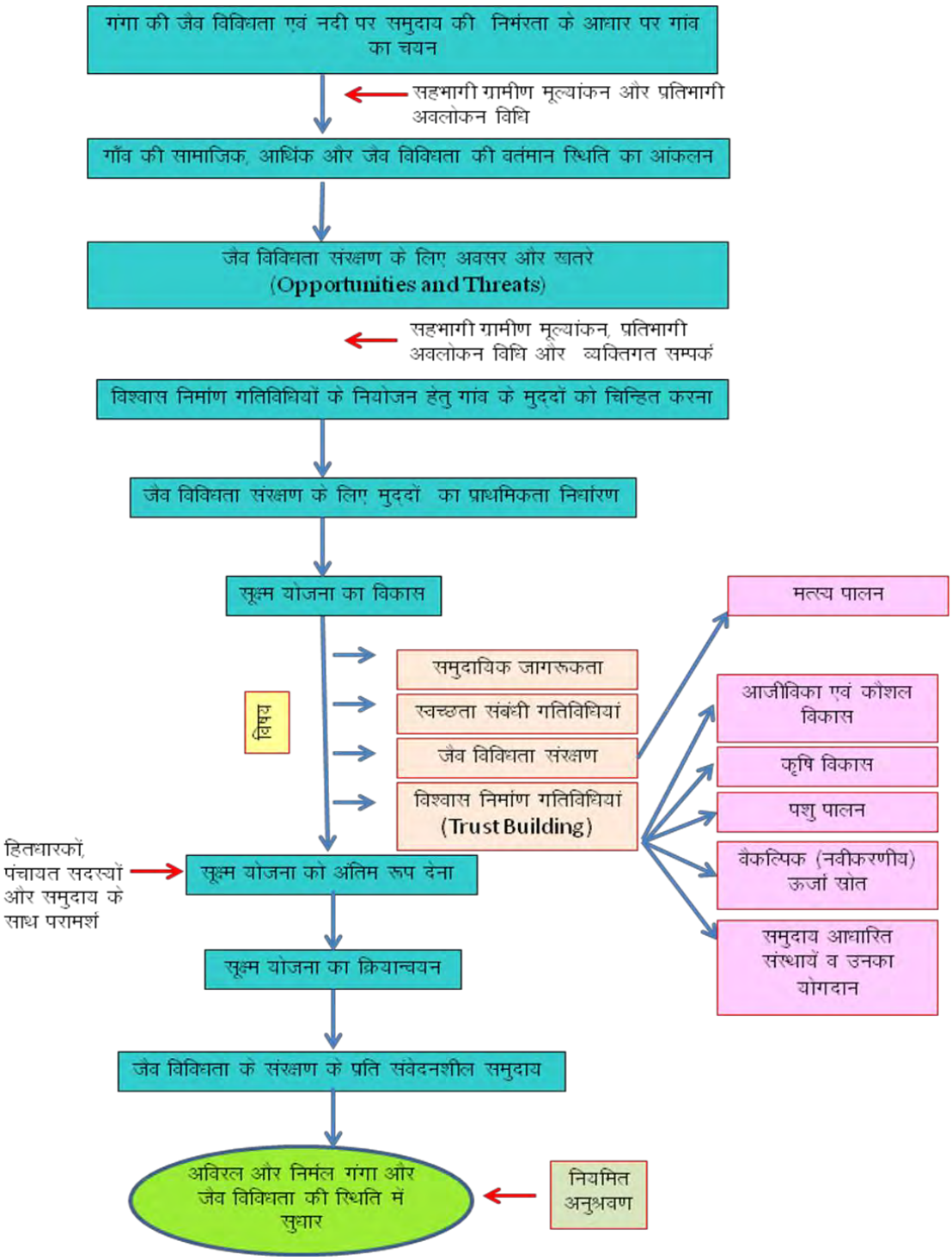

चित्र – 3 नियोजन की प्रक्रिया

भाग – 6 प्रस्तावित गतिविधियाँ तथा रणनीति

6.1.1 सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियां

सामुदायिक सहभागिता से कार्य करने एवं किये गये कार्यों की सततता बनाये रखने हेतु आवश्यक है कि स्थानीय समुदाय किये जा रहे कार्य के महत्व व उसके लाभ के बारे में भलीभांति परिचित हो।

समुदाय की, गंगा की स्वच्छता एवं जैवविविधता के संरक्षण के संबंध में समझ विकसित करने के बाद ही इस कार्य में उनकी भूमिका को सुनिश्चित किया जा सकता है। जिससे कि वे स्वंय संरक्षण कार्य को करने के लिये तैयार हो सकें। समुदायिक बैठकों और चर्चा के माध्यम से गंगा नदी व उसके आसपास की जैवविविधता व उसके महत्व, स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, जैविक कृषि, पशुपालन एवं मत्स्यपालन संबंधी जागरूकता गतिविधियाँ की जायेंगी।

1. समुदाय एवं विद्यार्थियों के सहयोग से रैली, अभियान, नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन आदि कार्य करना।
2. सामुदायिक जागरूकता हेतु, जिला प्रशासन के साथ मिलकर गाँव में चौपाल का आयोजन।
3. ग्राम स्तर पर जागरूक एवं सक्रिय व्यक्तियों का समूह तैयार कर उन्हें जैवविविधता संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने हेतु प्रशिक्षित करना।
4. जैवविविधता संरक्षण के विभिन्न पक्षों पर समुदाय व विद्यालयों में बच्चों और अध्यापकों के साथ कार्यशाला एवं प्रशिक्षण।
5. विभिन्न विभागों से संबंधित ग्रामीण विकास, स्वच्छता, वृक्षारोपण, कौशल विकास, उन्नत एवं जैविक कृषि, पशुपालन, वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।
6. गंगा प्रहरी व बाल गंगा प्रहरी कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता संबंधी विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित कर कार्यक्रम को सुदृढ़ करना।

6.1.2 समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

समुदाय में उपस्थित सक्रिय संस्थायें किसी भी कार्यक्रम के क्रियान्वयन को सफल बनाने के साथ ही उसकी सततता को भी सुनिश्चित करती हैं। मसकलैया ग्राम पंचायत में दस सक्रिय स्वंय सहायता समूह हैं, कार्यक्रम के अंतर्गत उक्त समूहों के साथ बैठकें कर समूह के सदस्यों को जैवविविधता संरक्षण के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जायेगा। साथ ही जैवविविधता संरक्षण को समूह के नियमों व कार्यप्रणाली में शामिल किया जायेगा। आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं को जैवविविधता संरक्षण के प्रति जागरूक कर उन्हें अन्य लोगों को भी

इस संबंध में जानकारी देने हेतु प्रेरित किया जायेगा। बैठकों के दौरान आजीविका एवं कौशल विकास से संबंधित कार्यक्रम किये जाने की मांग समुदाय द्वारा की गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित महिला एवं युवकों के समूह बनाकर उन्हें जैवविविधता संरक्षण के प्रति जागरूक किया जायेगा ताकि ये समूह के माध्यम से अपनी आजीविका को सुदृढ़ करने के साथ ही कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोग कर सकें। ये समूह जैवविविधता संबंधी गतिविधियाँ पर जागरूकता हेतु एक मंच का कार्य करेंगें। जिसके लिये समुदाय में निम्न गतिविधियाँ की जानी हैं –

1. समुदाय में गठित विभिन्न संस्थाओं के सदस्यों को जैवविविधता संरक्षण के संबंध में जागरूक करना।
2. समूह के सदस्यों को, समुदाय के अन्य लोगों को जैवविविधता संबंधी कार्यों में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करने हेतु प्रशिक्षित करना।
3. समूह के उद्देश्यों एवं कार्यों में जैवविविधता संरक्षण को शामिल करना।

6.1.3 आजीविका एवं कौशल विकास गतिविधियां

ग्राम पंचायत मसकलैया में समुदाय की आजीविका हेतु गंगा पर प्रत्यक्ष निर्भरता है। समुदाय नौकायन, मछली का शिकार, घरेलू आवश्यकताओं के लिये पानी, गंगा किनारे कृषि (पालिज) एवं अन्य कृषि कार्यों के लिये गंगा पर निर्भर है। गंगा के कछार में खेती करने वाले लोगों द्वारा रासायनिक खादों का प्रयोग करने से जलीय जीवों को होने वाले खतरों की जानकारी देते हुये उनके विकल्पों के सम्बन्ध में जागरूक किया जायेगा, जिससे उनकी आजीविका पर भी प्रभाव न पड़े और जलीय जीवन भी बचा रहे। समुदाय को सतत आजीविका के संबंध में जागरूक करने के साथ ही वैकल्पिक आजीविका कौशल में प्रशिक्षित किया जायेगा।

आजीविका एवं कौशल विकास हेतु समुदाय में निम्न गतिविधियाँ की जायेंगी –

1. स्थानीय समुदाय हेतु प्रस्तावित विभिन्न प्रशिक्षणों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु विकास खंड व जिला स्तर के अधिकारियों से संपर्क करना।
2. बैठकों और कार्यशालाओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।
3. समुदाय में गठित विभिन्न समूहों को ग्राम में चलाई जा रही विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षणों में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करना।
4. समुदाय में विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
5. प्रशिक्षित लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं (सब्सिडी/लोन) से जोड़ना।
6. स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों हेतु बाजार विकसित करना।

6.1.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ

मसकलैया में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत घाट का निर्माण किया गया है। धार्मिक मेलों आदि के समय यहाँ पर यात्रियों व श्रद्धालुओं का आवागमन बहुत अधिक मात्रा में होता है। स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम में शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है परंतु सभी परिवारों के पास शौचालय न होने एवं गाँव में सार्वजनिक शौचालयों एवं कूड़ा निपटान की व्यवस्था न होने के कारण समस्या बनी हुई है। कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम स्तर पर गठित समिति व गंगा प्रहरी के माध्यम से स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ का संचालन किया जायेगा।

1. बैठकों, अभियान व दीवार लेखन आदि के माध्यम से स्वच्छता, शौचालयों के निर्माण एवं प्रयोग हेतु जागरूक कर पंचायत को खुले में शौच से मुक्त करने का प्रयास करना।
2. ठोस व तरल जैविक एवं अजैविक कूड़े के निपटान के बारे में समुदाय को जागरूक व प्रशिक्षित करना एवं इसके प्रबन्धन हेतु संबंधित विभाग से संपर्क स्थापित करना।
3. जिला स्तर पर विभिन्न विभागों से संपर्क कर शौचालय निर्माण, ग्राम पंचायत व घाटों पर स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं को स्थापित किया जायेगा।
4. कूड़ादान के उचित उपयोग हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं समय समय पर विशेषकर त्योहारों एवं मेलों के बाद स्वच्छता अभियान करना।
5. गंगा की स्वच्छता के लिये मासिक बैठक कर गंगा प्रहरियों के सहयोग से गंगा के तट व घाटों की सफाई करने हेतु ग्राम पंचायतवासियों को प्रेरित करना।

6.1.5 वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत

मसकलैया ग्राम पंचायत में 99 प्रतिशत परिवार पारम्परिक ईंधन का प्रयोग करते हैं जिससे गंगा के आसपास की वनस्पति पर ईंधन हेतु भारी निर्भरता बनी हुई है। इन परिवारों को वैकल्पिक ईंधन के प्रयोग हेतु प्रेरित किया जाना है। इसके लिये जिला स्तर पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, उज्जवला योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से इन परिवारों को एल0पी0जी, सौर ऊर्जा संयत्र (सोलर कुकर, स्ट्रीट लाईट) एवं बायोगैस निर्माण किये जाने हेतु प्रेरित किया जायेगा। साथ ही उपरोक्त के प्रयोग हेतु समुदाय को प्रशिक्षित किया जायेगा।

1. पारम्परिक ईंधन के प्रयोग से जैवविविधता एवं स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों पर जागरूकता।

2. जिला नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के साथ संपर्क कर ग्राम पंचायत में सोलर कुकर एवं सोलर स्ट्रीट लाईट के उपयोग पर कार्यशाला व प्रशिक्षणों का आयोजन।
3. बायोगैस के निर्माण एवं उपयोग पर कार्यशाला एवं प्रशिक्षण।

6.1.6 जैवविविधता संरक्षण संबंधी गतिविधियां

जैवविविधिता के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने एवं इसके संरक्षण के लिये कार्य करने के लिये जनसमुदाय में से गंगा प्रहरियों का चयन किया गया है। जो नदी की स्वच्छता तथा इसकी जैवविविधता के संरक्षण लिये प्रतिबद्ध है। उन्हें गंगा घाटों में मेले, स्नान, पर्व के समय गन्दगी फैलाने वाले लोगों की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी जायेगी। ये गंगा प्रहरी मसकलैया के नमामि गंगे घाट तथा अन्य स्थानों की स्वच्छता एवं आसपास उपस्थित गंगा के जलीय जीवों के बारे में जनसमुदाय को जागरूक करेंगें, साथ ही बीमार, घायल, संकटग्रस्त जलीय जीवों की जानकारी संबंधित कार्यकर्ताओं/वन विभाग को देंगें जिससे कि उनका बचाव व पुनर्वास किया जा सके। जिसके लिये उन्हें बचाव कार्यों में प्रशिक्षित किया जाना है। साथ ही जनसमुदाय को गंगा की स्वच्छता एवं जलीय जीवों के महत्व के बारे में जागरूक कर गंगा व गांव के आसपास की जैवविविधता के संरक्षण हेतु प्रेरित किया जायेगा। समुदाय स्तर पर निम्न गतिविधियाँ की जानी है–

1. गंगा नदी की पारिस्थितिकी, जैवविविधता एवं उस पर संकट के बारे में समुदाय को जागरूक करना।
2. पंचायत स्तर पर जैवविविधता प्रबन्धन समिति के गठन हेतु पहल करना।
3. जनसमुदाय व जैवविविधता प्रबन्धन समिति के साथ गंगा के जलीय जीवों के संरक्षण के संबंध में चर्चा एवं उसमें उनकी भूमिका सुनिश्चित करना।
4. वन विभाग के साथ निरंतर संपर्क एवं जलीय जीवों के अवैध शिकार पर निगरानी हेतु एक तंत्र तैयार करना।
5. गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।

6.1.7 कृषि विकास संबंधी गतिविधियां

ग्राम पंचायत की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। जिसका एक बड़ा भाग गंगा के किनारे स्थित है। कृषि में प्रयुक्त होने वाली रसायनिक खादों एवं कीटनाशकों के कारण गंगा नदी के जलीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही गंगा किनारे की जाने वाली खेती के कारण जलीय जीवों के आवास पर भी संकट है।

1. रसायनिक खादों के प्रयोग से स्वास्थ्य एवं जैवविविधता पर होने वाले दुष्प्रभावों पर जागरूकता।
2. जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण।
3. जैविक कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी हेतु कृषि विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित करना।
4. उन्नत कृषि, कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
5. किसानों को जैविक खाद बनाने के तरीकों एवं इनके महत्व के बारे में जानकारी दी जायेगी।

6.1.8 पशुपालन संबंधी गतिविधियां

मसकलैया में पशुपालन को द्वितीयक व्यवसाय के रूप में किया जाता है। लगभग 900 परिवारों के पास पशु हैं। ग्राम पंचायत में लगभग 7000 पशु हैं। पशुओं के लिये ग्राम पंचायत व आसपास कोई चिकित्सालय नहीं है साथ ही पशुआ की उन्नत नस्ल न होने की वजह से इन परिवारों को आय के अन्य स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है।

1. ग्राम स्तर पर पशुचिकित्सा विभाग के सहयोग से पशुओं के लिये चिकित्सा शिविर आदि आयोजित किये जायेगें, जिसमें पशुओं का टीकाकरण एवं बीमारियों का उपचार किया जायेगा।
2. ग्राम पंचायत के नवयुवकों को पशुपालन, डेरी सम्बन्धी व्यवसाय से जीविकोपार्जन करने के लिये प्रेरित किया जायेगा।
3. विभागीय सहयोग (पशुपालन विभाग, बाएफ) से अच्छी नस्ल के दुधारू पशु, दूध उत्पादन को बढाने के लिये चारे के उत्पादन व पौष्टिक चारे विषय में जानकारी दी जायेगी।
4. बंजर खेतों एवं मेंढ़ों पर चारा घास रोपण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

6.1.9 मत्स्य पालन संबंधी गतिविधियां

ग्राम पंचायत मसकलैया में 12 परिवारों की आजीविका मछली के शिकार पर आश्रित है। इन परिवारों को जैवविविधता संरक्षण से जोड़ने के लिये आवश्यक है कि इन्हें मछली पकड़ने के उचित तरीकों के संबंध में जागरूक किया जाये। साथ ही उन्हें जलीय जैवविविधता के महत्व को भी समझाया जायेगा।

1. मछली पकड़ने के उचित जाल पर जागरूकता।
2. मत्स्य पालन पालन संबंधी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के लिये मत्स्य विभाग के साथ मिलकर बैठकों व कार्यशालाओं का आयोजन।
3. सरकारी योजनाओं व नियमों की जानकारी प्रदान करना।

6.2 रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन

उपरोक्त योजनाओं एवं गतिविधियाँ के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होगी। कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु चिन्हित किये गये विभागों का विवरण निम्नवत है–

क्रम सं0	गतिविधि	विभाग
1.	ग्रामीण विकास, स्वच्छता संबंधी योजनाओं की जानकारी एवं निर्माण करना।	ग्रामीण विकास विभाग, स्वच्छ भारत अभियान
2.	वृक्षारोपण एवं जैवविविधता संरक्षण।	वन विभाग
3	कौशल विकास एवं आजीविका संबंधी प्रशिक्षण।	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, WISE, HESCO आदि
4.	उन्नत एवं जैविक कृषि, पशुपालन, बायो गैस, बायो कम्पोस्ट निर्माण।	कृषि एवं पशुपालन विभाग, बाएफ
5.	वैकल्पिक ऊर्जा, सौर उर्जा ।	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, उज्जवला योजना आदि
6.	मत्स्य विकास।	मत्स्य पालन विभाग

उपरोक्त विभागों से समन्वयन स्थापित कर समुदाय को विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जायेगा।

भाग – 7 व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण

7.1 सहमत गतिविधियों का व्यवहार्यता विश्लेषण

योजना के अंतर्गत प्रस्तावित की गई गतिविधियाँ का सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना आवश्यक है तभी उसके क्रियान्वयन से समुदाय लाभान्वित हो सकेगा।

क्रम सं0	प्रस्तावित गतिविधि	व्यवहार्यता
1.	समुदाय एवं विद्यार्थियों के सहयोग से रैली, अभियान, नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन आदि कार्य करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
2	सामुदायिक जागरूकता हेतु, जिला प्रशासन के साथ मिलकर गांव में चौपाल का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
3	ग्राम स्तर पर जागरूक एवं सक्रिय व्यक्तियों का समूह तैयार कर उन्हें जैवविविधता संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने हेतु प्रशिक्षित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
4	जैवविविधता संरक्षण पर समुदाय व विद्यालयों में बच्चों और अध्यापकों के साथ कार्यशाला एवं प्रशिक्षण।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
5	विभिन्न विभागों से संबंधित ग्रामीण विकास, स्वच्छता, वृक्षारोपण, कौशल विकास, उन्नत एवं जैविक कृषि, पशुपालन, वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
6	गंगा प्रहरी व बाल गंगा प्रहरी कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता संबंधी विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित कर कार्यक्रम को सुदृढ़ करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
7	समुदाय में गठित विभिन्न संस्थाओं के सदस्यों को जैवविविधता संरक्षण के संबंध में जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
8	समूह के सदस्यों को, समुदाय के अन्य लोगों को जैवविविधता संबंधी कार्यों में प्रतिभाग करने हेतु	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।

	प्रेरित करने हेतु प्रशिक्षित करना।	
9	समूह के उद्देश्यों एवं कार्यों में जैवविविधता संरक्षण को शामिल करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
10	स्थानीय समुदाय हेतु प्रस्तावित विभिन्न प्रशिक्षणों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु विकास खंड व जिला स्तर के अधिकारियों से संपर्क करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। समूह के सदस्यों का सहयोग आवश्यक होगा।
11	बैठकों और कार्यशालाओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
12	समुदाय में गठित विभिन्न समूहों को ग्राम में चलाई जा रही विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षणों में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
13	समुदाय में विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
14	प्रशिक्षित लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं (सब्सिडी/लोन) से जोड़ना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
15	स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों हेतु बाजार विकसित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
16	बैठकों, अभियान व दीवार लेखन आदि के माध्यम से स्वच्छता, शौचालयों के निर्माण एवं प्रयोग हेतु जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य ।
17	ठोस व तरल, जैविक एवं अजैविक कूड़े के निपटान के बारे में समुदाय को जागरूक व प्रशिक्षित करना एवं इसके प्रबन्धन हेतु संबंधित विभाग से संपर्क स्थापित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। इसके लिये विभिन्न विभागों, कार्यक्रमों, संस्थानों से समन्वयन एवं सहयोग की आवश्यकता होगी।
18	जिला स्तर पर विभिन्न विभागों से संपर्क कर शौचालय निर्माण, ग्राम पंचायत व घाटों पर स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं को स्थापित किया	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता

	जायेगा।	होगी।
19	कूड़ादान के उचित उपयोग हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं समय समय पर विशेषकर त्योहारों एवं मेलों के बाद स्वच्छता अभियान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
20	गंगा की स्वच्छता के लिये मासिक बैठक कर गंगा प्रहरियों के सहयोग से गंगा के तट व घाटों की सफाई करने हेतु ग्राम पंचायत वासियों को प्रेरित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
21	पारम्परिक ईंधन के प्रयोग से जैवविविधता एवं स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों पर जागरूकता।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
22	जिला नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के साथ संपर्क कर ग्राम पंचायत में सोलर कुकर एवं सोलर स्ट्रीट लाईट के उपयोग पर कार्यशाला व प्रशिक्षणों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
23	बायोगैस के निर्माण एवं उपयोग पर कार्यशाला एवं प्रषिक्षण।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
24	गंगा नदी की पारिस्थितिकी, जैवविविधता एवं उस पर संकट के बारे में समुदाय को जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
25	पंचायत स्तर पर जैवविविधता प्रबन्धन समिति के गठन हेतु पहल करना।	विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
26	जनसमुदाय व जैवविविधता प्रबन्धन समिति के साथ गंगा के जलीय जीवों के संरक्षण के संबंध में चर्चा एवं उसमें उनकी भूमिका सुनिश्चित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
27	वन विभाग के साथ निरंतर संपर्क एवं जलीय जीवों के अवैध शिकार पर निगरानी हेतु एक तंत्र तैयार करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
28	गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य ।
29	रसायनिक खादों के प्रयोग से स्वास्थ्य एवं जैवविविधता पर होने वाले दुष्प्रभावों पर जागरूकता।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य साथ ही विभागीय समन्वयन की भी आवश्यकता होगी।

30	जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
31	जैविक कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी हेतु कृषि विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
32	उन्नत कृषि, कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
33	किसानों को जैविक खाद बनाने के तरीकों एवं इनके महत्व के बारे में जानकारी दी जायेगी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
34	ग्राम स्तर पर पशुचिकित्सा विभाग के सहयोग से पशुओं के लिये चिकित्सा शिविर आदि आयोजित किये जायेगें, जिसमें पशुओं का टीकाकरण एवं बीमारियों का उपचार किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
35	ग्राम पंचायत के नवयुवकों को पशुपालन, डेरी सम्बन्धी व्यवसाय से जीविकोपार्जन करने के लिये प्रेरित किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य ।
36	विभागीय सहयोग (पशुपालन विभाग, बाएफ) से अच्छी नस्ल के दुधारू पशु, दूध उत्पादन को बढाने के लिये चारे के उत्पादन व पौष्टिक चारे विषय में जानकारी दी जायेगी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
37	बंजर खेतों एवं मेंढ़ों पर चारा घास रोपण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
38	मछली पकड़ने के उचित जाल पर जागरूकता।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य
39	मत्स्य पालन पालन संबंधी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के लिये मत्स्य विभाग के साथ मिलकर बैठकों व कार्यशालाओं का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।

40	सरकारी योजनाओं व नियमों की जानकारी प्रदान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।

7.2 वित्तीय आवयश्यकता एवं बजट

ग्राम मसकलैया में क्रियान्वित की जाने वाली समस्त गतिविधियाँ का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के आर्थिक सहयोग से किया जायेगा। तकनीकी सहयोग हेतु जिला स्तरीय विभागों के साथ समन्वयन किया जायेगा। जहाँ तक संभव हो संबंधित विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को समुदाय तक पहुँचाने का प्रयास किया जायेगा जिससे कार्यक्रम क्रियान्वयन में आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सके।

बजट मसकलैया				
क्रम सं0	**गतिविधि**	**संख्या**	**दर**	**कुल राशि**
1	**सामुदायिक जागरूकता गतिविधियाँ**			
i	जैवविविधता संरक्षण पर जागरूकता रैली	2	10000	20000
ii	नुक्कड़ नाटक	5	20000	100000
iii	दीवार लेखन	50	500	25000
iv	घाटों पर सूचना बोर्ड/होर्डिंग लगाना	2	10000	20000
v	समुदाय के साथ समय–समय पर गंगा एवं जैवविविधता संरक्षण पर चौपाल का आयोजन	10	5000	50000
vi	जैवविविधता प्रबन्धन समिति के गठन एवं जलीय जीवों के संरक्षण में जैवविविधता प्रबन्धन समिति की भूमिका पर बैठक	4	5000	20000
vii	विभिन्न विभागों/कार्यक्रमों के सहयोग से स्थानीय समुदाय के लिये विभिन्न आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करना	5	5000	25000
viii	ठोस व तरल अपशिष्ट का स्रोत पर ही प्रबन्धन करने संबंधी जानकारी प्रदान करना।	5	5000	25000
ix	विभाग के साथ मिलकर सौर उर्जा व उसके प्रयोग	5	5000	25000

	पर जागरूकता हेतु बैठक			
x	**कुल**			**310000**
2	**कार्यशाला एवं प्रशिक्षण**			
	जैवविविधता संरक्षण के विभिन्न पक्षों पर समुदाय व विद्यालयों में बच्चों और अध्यापकों के साथ कार्यशाला एवं प्रशिक्षण	5	30000	150000
i	समूह के सदस्यों, गंगा प्रहरी व बाल गंगा प्रहरी को जैवविविधता संबंधी कार्यों में प्रतिभाग करने हेतु प्रशिक्षित करना	4	20000	80000
ii	आजीविका एवं कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन	4	100000	400000
iii	प्रशिक्षित लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं (सब्सिडी/लोन) की जानकारी देने हेतु कार्यशाला का आयोजन	2	20000	40000
iv	सिंचाई हेतु सोलर पंप का उपयोग तथा सोलर स्ट्रीट लाईट पर विभाग के साथ समुदाय के लिये कार्यशाला का आयोजन	1	20000	20000
v	गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुर्नवास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन	2	50000	100000
vi	जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण	2	50000	100000
vi	बायोकम्पोस्ट निर्माण एवं मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्रदान करना।	2	10000	200000
vii	उन्नत कृषि, कृषि वानिकी, पशुपालन एवं खेतों में चारा घास रोपण हेतु जागरूकता एवं प्रशिक्षण (कृषि विभाग के सहयोग से)	1	10000	10000
	कुल			**1100000**
3	**प्रदर्शन एवं निर्माण**			
i	प्रदर्शन (Demonstration) वर्मी कम्पोस्ट पिट का निर्माण	2	20000	40000
ii	उन्नत कृषि, कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण का प्रर्दशन (Demonstration)	1	50000	50000
iii	पशु चिकित्सा शिविर	4	10000	40000

iv	सक्रिय समूह को आजीविका संबंधी गतिविधियाँ शुरू करने हेतु रिवॉल्विंग फंड			50000
v	स्वच्छता अभियान का आयोजन	24	2000	48000
vi	गाँव एवं घाटों पर स्वच्छता संबन्धित व्यवस्थाओं को स्थापित करना (कूड़ादान लगाना)	10	8000	80000
v	गंगा किनारे वृक्षारोपण			20000
vi	बंजर खेतों एवं मेंढ़ों पर चारा घास रोपण			50000
vii	मत्स्य पालन हेतु प्रदर्शन पोखर/तालाब निर्माण	1		250000
	कुल			**628000**
4	**मानवशक्ति एवं यात्रा व्यय**			
i	फील्ड असिस्टेंट (दो वर्ष हेतु)	1	10000	240000
ii	यात्रा व्यय			100000
				340000
			कुल (1+2+3+4)	**2378000**

7.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

उपरोक्त कार्ययोजना का समय समय पर अनुश्रवण कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम के अनुश्रवण से हमें कार्यक्रम क्रियान्वयन की प्रगति व उसमें आने वाली बाधाओं की जानकारी प्राप्त होगी एवं मूल्यांकन कर कार्ययोजना के अनुरूप क्रियान्वयन प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकता है। ग्राम पंचायत में गठित ग्राम स्तरीय समिति व गंगा प्रहरियों के माध्यम से कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर रखे जाने वाले रिकार्ड्स भी कार्यक्रम के अनुश्रवण में सहायक होंगें।

7.4 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व

कार्यक्रम क्रियान्वयन में समुदाय और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन0एम0सी0जी) एवं भारतीय वन्य जीव संस्थान की टीम के उत्तरदायित्व निम्नवत होंगे –

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन0एम0सी0जी) एवं भारतीय वन्य जीव संस्थान जागरूकता गतिविधियाँ, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण हेतु बजट की व्यवस्था करना।

- गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करना।

- जलीय जीवों के बचाव व पुनर्वास हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करना।
- आजीविका एवं कौशल संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से समन्वयन स्थापित करना।

समुदाय

- विभिन्न गतिविधियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों में भागीदारी करना।
- सहमत गतिविधियाँ के क्रियान्वयन हेतु स्थान प्रदान करना।
- संकटग्रस्त जलीय जीवों की जानकारी संबंधित विभाग/कार्यकर्ताओं को देना।
- आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षणों में सक्रिय भागीदारी करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों को सहयोग करना।
- समय समय पर स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ का क्रियान्वयन।
- जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ का आयोजन।

7.5 विवाद का निपटारा

ग्राम पंचायत में पंचायत स्तर पर विवाद का निपटारा आपसी सहमति से किया जायेगा।

7.6 अभिलेखों का रखरखाव – अभिलेखों के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत या उनके द्वारा चयनित प्रतिनिधि की होगी जिसके लिये ग्राम स्तर पर चयनित गंगा प्रहरियों का सहयोग लिया जा सकता है।

- गंगा की स्वच्छता एवं वृक्षारोपण सम्बन्धी गतिविधियाँ हेतु रजिस्टर
- विभिन्न गतिविधियाँ के फोटोग्राफ
- क्रियान्वित गतिविधियाँ की रिपोर्ट
- प्रशिक्षण में शामिल प्रशिक्षणार्थियों का विवरण
- गंगा प्रहरी द्वारा की जा रही गतिविधियाँ का विवरण

7.7 सफलता के सूचक

1. गंगा नदी एवं उसके बेसिन में जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा प्रहरियों का एक संवर्ग (cadre) तैयार हो चुका है तथा स्थानीय समुदाय एवं अन्य हितधारकों को संवेदीकृत एवं प्रशिक्षित किया जा चुका है।

2. कार्यक्रम के हितधारकों, उनकी आवश्यकताओं और गंगा के संरक्षण में उनकी भूमिका सुनिश्चित कर ली गई है।
3. ग्राम पंचायत में एक मंच तैयार किया जा चुका है जहाँ पर विभिन्न हितधारक गंगा एवं उसकी जलीय जैवविविधता के संरक्षण से संबंधित चर्चा एवं क्रियाकलाप कर सकते हैं।
4. गंगा नदी पर आश्रित समुदाय हेतु कौशल व क्षमता विकास प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा चुका है।
5. समुदाय जैविक कृषि कार्यक्रमों को अपनाने हेतु पहल कर रहा है।
6. ग्राम पंचायत व घाटों पर स्वच्छता की स्थिति में सुधार हुआ है।
7. समुदाय गंगा जैवविविधता संरक्षण संबंधी गतिविधियाँ के प्रति जागरूक है एवं इसके लिये स्वयं गतिविधियाँ का आयोजन कर रहा है।
8. आजीविका के अवसरों में वृद्धि हुई है।
9. गंगा प्रहरियों के द्वारा लगातार समुदाय को गंगा के जलीय जीवों के महत्व तथा संरक्षण के बारे में जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है।

अनुलग्नक – 1

समझौता ज्ञापन

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

Panchayati Raj

नमामि गंगे

जैव विविधता संरक्षण एवं गंगा जीर्णोद्धार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान का प्रयास

समझौता ज्ञापन

जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने सभी भागीदारों को एक साथ लाकर गंगा नदी की जैव विविधता के मूल्य को बहाल करने के लिए एक दृष्टिकोण विकसित किया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा लागू की जाने वाली परियोजना " जैव विविधता संरक्षण और गंगा जीर्णोद्धार" इस संरक्षण की नीति का एक अभिन्न हिस्सा है। इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय समुदायों के सहयोग से,गंगा नदी की जलीय प्रजातियों के लिए बहाली योजना विकसित करना है, जिसके लिए शामिल दलों द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जा रहा है।

समझौता ज्ञापन के पक्षधारी

इस समझौता ज्ञापन पर ग्राम पंचायत (प्रस.कलेरा जि०दे० तलहारी) और भारतीय वन्यजीव संस्थान के बीच 10/03/19 दिन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

समझौता ज्ञापन के विषय

यह दस्तावेज गंगा नदी की जलीय प्रजातियों की बहाली के लिए शामिल दलों द्वारा परस्पर सहयोग के लिए प्रतिबद्धता तथा निम्न उद्देश्यों को सामूहिक रूप से प्राप्त करने की दिशा में प्रयास को दर्शाता है:

1– स्थानीय समुदायों के बीच,गंगा नदी के प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए,गंगा प्रहरी का सृजन।

2– घायल एवं बीमार जलीय जीव–जंतुओं के बचाव तथा पुर्नवास के लिए सक्रिय भागीदारी,विशेष रूप से स्थानीय समुदायों द्वारा।

3– नदी पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दीर्घकालिक उपयोग।

4– सम्मिलित पंचायत के सभी सदस्यों के लिए स्थान विशेष दीर्घकालिक आजीविका नीतियों की पहचान और विकास का प्रयास।

सभी दल इस समझौते ज्ञापन का सम्मान करने के लिए सहमति प्रदान करते है।

समझौते के लिए पक्षधारियों के हस्ताक्षर:

भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से हस्ताक्षर

हस्ताक्षर –
नाम – डा. रूचि बडोला
शीर्षक– परियोजना समन्वयक, भारतीय वन्यजीव संस्थान
दिनांक –

पंचायत की ओर से हस्ताक्षर

हस्ताक्षर – 10/03/19
नाम –
शीर्षक– ग्राम पंचायत- प्रस.कलेरा
विकास खण्ड- तलहारी (सहारनपुर)
दिनांक

अनुलग्नक – 2

सामाजिक मानचित्र

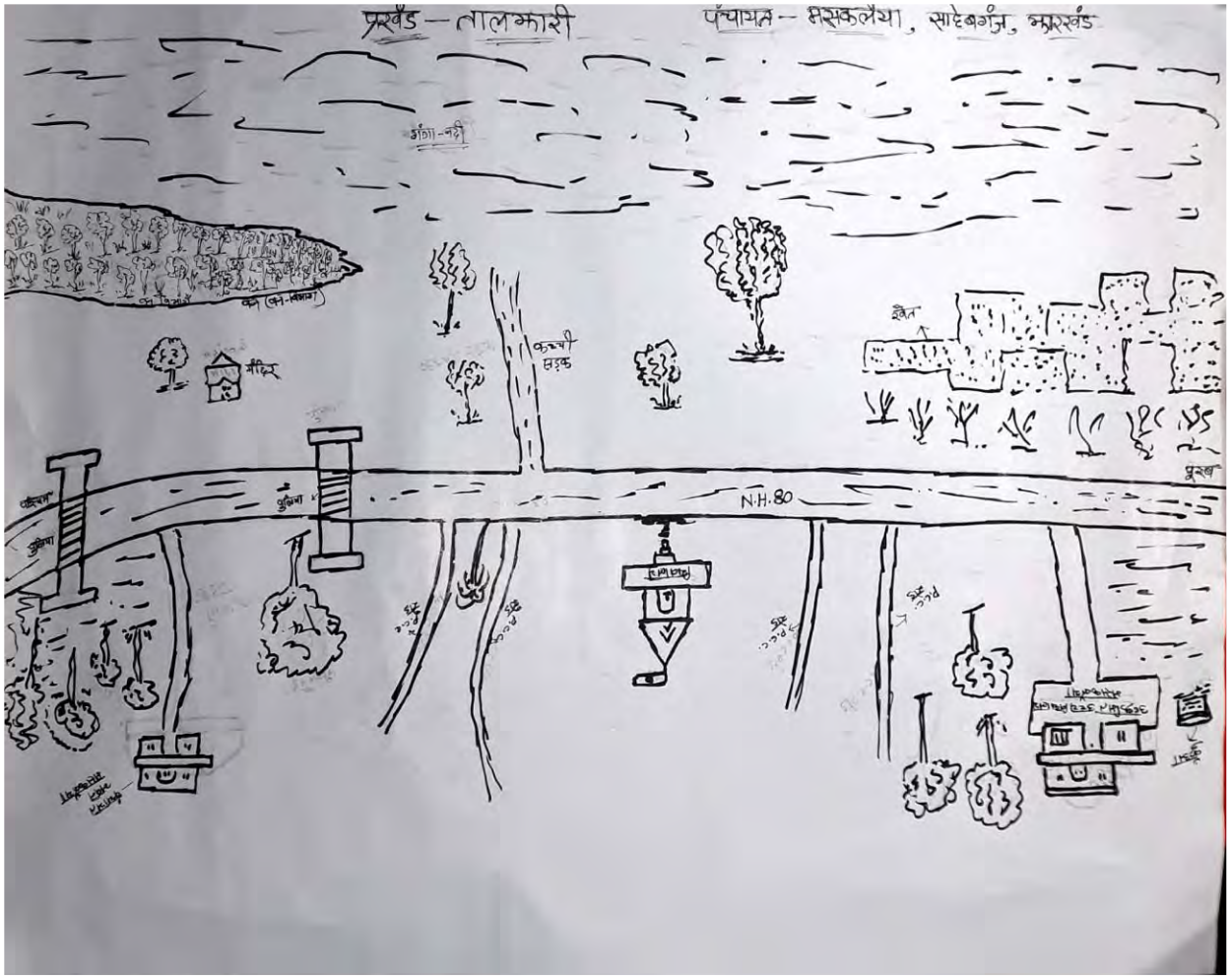

अनुलग्नक – 3

सूक्ष्म नियोजन हेतु बैठक में उपस्थित समुदाय की सूची

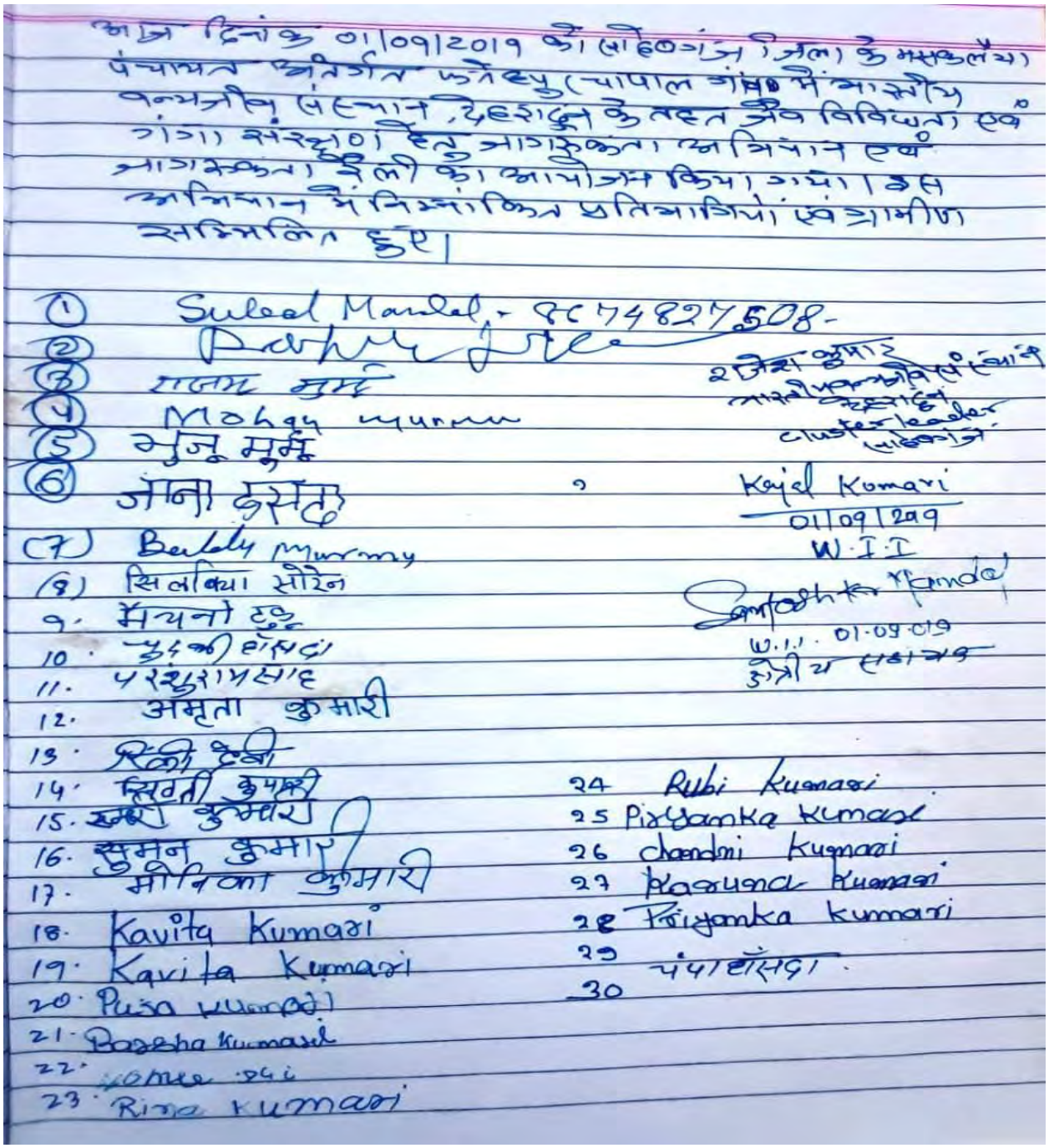

आज दिनांक 01/09/2019 को लोहरदगा जिला के भण्डलैया पंचायत अंतर्गत फतेहपुर चापाल गांव में भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के तहत जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण हेतु जागरूकता अभियान एवं जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस अभियान में निम्नांकित प्रतिभागियों एवं ग्रामीण सम्मिलित हुए।

1. Sukal Mandal - 8574827508
2. [illegible]
3. राजम मुर्मू
4. Mohan murmu
5. भुजु मुर्मू
6. जोना हसदा
7. Baboly murmu
8. सिलविया सोरेन
9. मैयनो टुडू
10. चुड़की हांसदा
11. परशुरामसिंह
12. अमृता कुमारी
13. रिंकी देवी
14. सिमती कुमारी
15. [illegible] कुमारी
16. सुमन कुमारी
17. मोनिका कुमारी
18. Kavita Kumari
19. Kavita Kumari
20. Puja kumari
21. Bassha Kumari
22. [illegible]
23. Rina Kumari
24. Rubi Kumari
25. Priyanka Kumari
26. chandni Kumari
27. Karuna Kumari
28. Priyanka kumari
29. चंपा हांसदा
30.

2. जैसा कुमार
भारतीय वन्यजीव संस्थान
देहरादून
cluster leader
लोहरदगा

Kajal Kumari
01/09/2019
W.I.I

Santosh Mandal
W.I.I. 01.09.019
क्षेत्रीय सहायक

फोटो गैलरी

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

NMCG

National Mission for Clean Ganga, Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation

GACMC

Ganga Aqualife Conservation Monitoring Centre

Wildlife Institute of India

Post Box #18, Chandrabani
Dehradun - 248001
Uttarakhand, India t.: +91135 2640114-15,
+91135 2646100
f.: +91135 2640117

www.wii.gov.in/national_mission_for_clean _ganga